

10/9/20

वकील प्रार्थी उपस्थिति पत्रावली की अवलोकन  
क्रिया प्रार्थिया द्वारा यह मुलकिली प्रार्थना पत्र  
श्री संतोष मीणा SDO बयाना के विरुद्ध प्रस्तुत  
किया है। चूंकि तत्कालीन पीठसैन अधिकारी  
श्री संतोष मीणा SDO बयाना का स्थानान्तरण अभ्यक्त  
हो गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थिया की मुलकिली  
प्रार्थना पत्र प्रभावहीन (Infructuous) हो जाने  
के कारण इसी Stage पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली केसल शुमा होमा काड तबमील दान्य हो।



जिला न्यायालय  
भजनपुर (राजको)